	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 23, मंगलवार, *शाके* 1947- जनवरी 13, 2026 Pausa 23, Tuesday, Saka 1947- January 13, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2025

संख्या एफ8(20)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2025/18921336:-राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज0 अधि0 सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2082 (वर्ष 2025-26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टर, बारां द्वारा करवाई गई नियमित गिरदावरी की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बारां जिलें की 08 तहसील यथा बारां, अन्ता, अटरू, मांगरोल, छबड़ा, छीपाबड़ौद, शाहबाद एवं किशनगंज के कुल 1233 गांवों में कृषकों की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है, एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के जारी होने से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे, तथा उक्त जिलें में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा वाले व्यक्तिगत कृषकों को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी जाती है।
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
शैफाली कुशवाहा,
शासन उप सचिव।

18133
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।